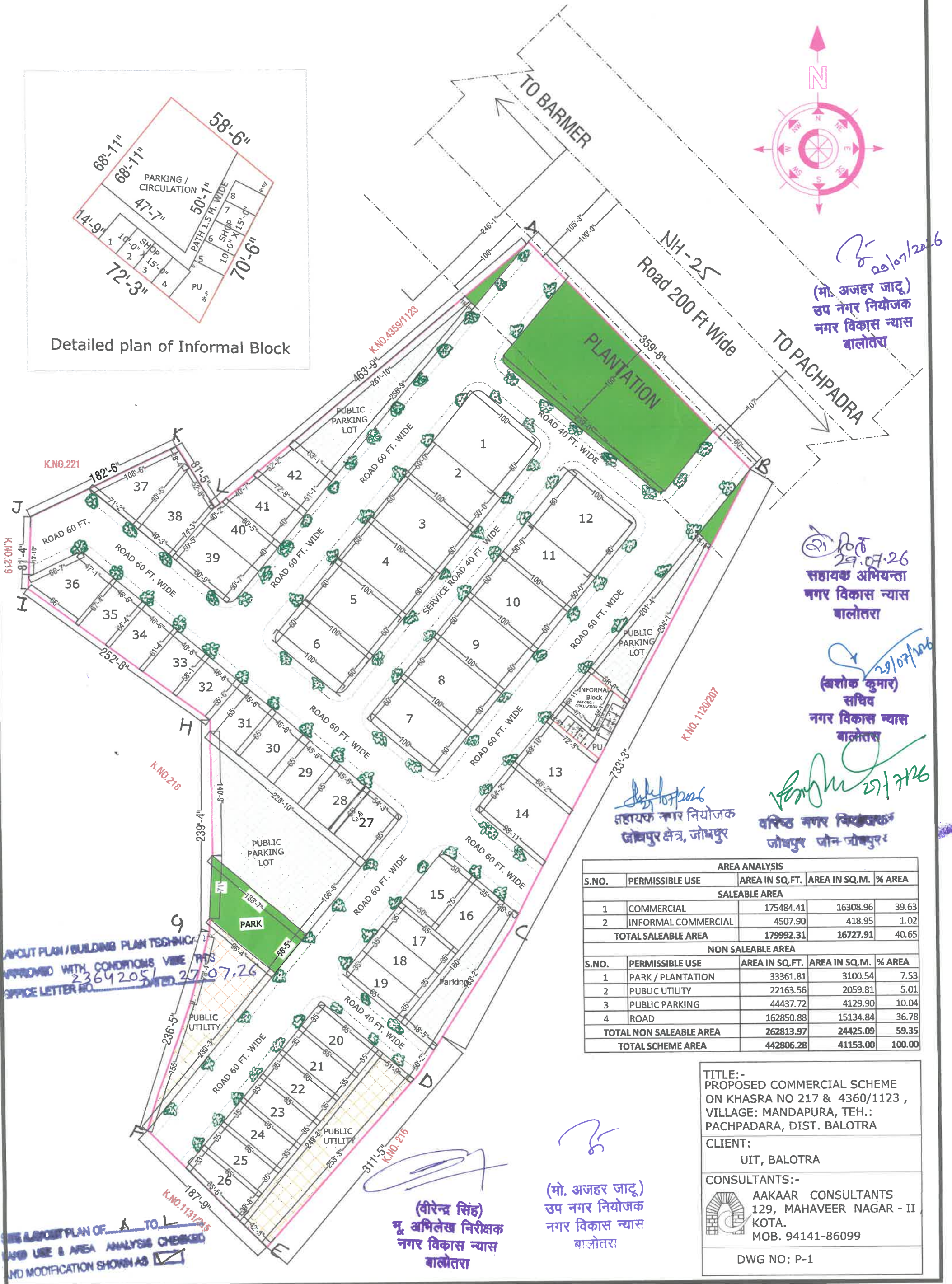
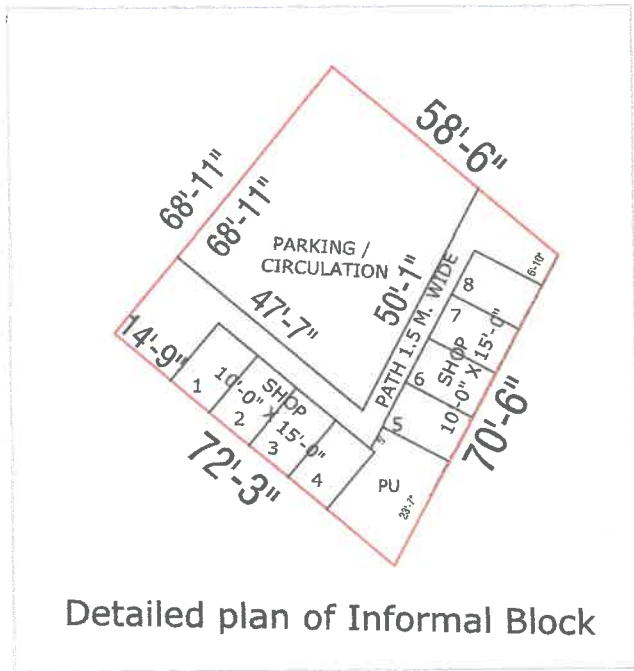


PROPOSED COMMERCIAL SCHEME ON KHASRA NO 217 & 4360/1123 VILLAGE: MANDAPURA, TEH.: PACHPADARA, DIST. BALOTRA



AREA ANALYSIS				
S.NO.	PERMISSIBLE USE	AREA IN SQ.FT.	AREA IN SQ.M.	% AREA
SALEABLE AREA				
1	COMMERCIAL	175484.41	16308.96	39.63
2	INFORMAL COMMERCIAL	4507.90	418.95	1.02
TOTAL SALEABLE AREA		179992.31	16727.91	40.65
NON SALEABLE AREA				
S.NO.	PERMISSIBLE USE	AREA IN SQ.FT.	AREA IN SQ.M.	% AREA
1	PARK / PLANTATION	33361.81	3100.54	7.53
2	PUBLIC UTILITY	22163.56	2059.81	5.01
3	PUBLIC PARKING	44437.72	4129.90	10.04
4	ROAD	162850.88	15134.84	36.78
TOTAL NON SALEABLE AREA		262813.97	24425.09	59.35
TOTAL SCHEME AREA		442806.28	41153.00	100.00

TITLE:-
PROPOSED COMMERCIAL SCHEME
ON KHASRA NO 217 & 4360/1123 ,
VILLAGE: MANDAPURA, TEH.:
PACHPADARA, DIST. BALOTRA

CLIENT:
UIT, BALOTRA

CONSULTANTS:-
AAKAAR CONSULTANTS
129, MAHAVEER NAGAR - II
KOTA.
MOB. 94141-86099

DWG NO: P-1

बैठक कार्यवाही विवरण

नगरीय विकास विभाग राजस्थान जयपुर की अधिसूचना क्रमांक प.11 (14) नविवि/टाउनशिप पॉलिसी- 2024/2024 द्वारा लागू राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी- 2024 के बिन्दु संख्या 2.4 द्वारा गठित ले-आउट प्लान कमेटी (LPC) की बैठक आज दिनांक 29.07.2026 को प्रातः 11:00 ए.एम. पर कार्यालय नगर विकास न्यास, बालोतरा में आयोजित की गई।

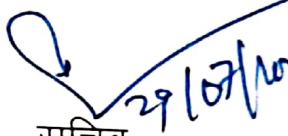
एजेण्डा संख्या - 01

दिनांक	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
28.07.2026	मण्डापुरा	4360 / 1123, 217	4.1153	वाणिज्यिक योजना
आवेदक	नगर विकास न्यास की योजना।			
विषय:-	वाणिज्यिक योजना हेतु।			
निर्णय:-	समिति द्वारा एजेण्डा एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं निम्न तथ्य नोट किए गये :- 1. ट्रस्ट बैठक दिनांक 19.02.2026 के प्रस्ताव संख्या Town planning/2025-26/14/02/03 अनुसार राजस्व ग्राम मण्डापुरा के खसरा संख्या 4360 / 1123, 217 में वाणिज्यिक योजना बनाने का निर्णय लिया गया है। 2. नगर विकास न्यास की ट्रस्ट बैठक संख्या 2025-26/14/02/03 दिनांक 19.02.2026 के बिन्दु संख्या 2 अनुसार उक्त योजना का नामकरण "मण्डापुरा बहुउद्देशीय वाणिज्यिक योजना" करने का निर्णय लिया गया। 3. निर्णय की अनुपालना में योजना की धारा 32 (A) का प्रस्ताव श्रीमान् उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को दिनांक 27.02.2026 को भेजा गया। 4. राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 10.06.2026 द्वारा धारा 32(1) की अधिसूचना जारी की गई है। 5. योजना मानचित्र के तकनीकी अनुमोदन हेतु वरिष्ठ नगर नियोजक कार्यालय को दिनांक 21.07.2026 को प्रकरण भिजवाया गया। जिसके क्रम में दिनांक 27.07.2026 को तकनीकी राय प्राप्त हुई। 6. कार्यालय हाजा तहसीलदार एवं पटवारी द्वारा ले-आउट की भुजाओं का राजस्व प्रमाणीकरण किया गया है। समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचार - विमर्श उपरांत निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया :- 1. ले-आउट प्लान अनुसार आवेदित भूमि को पहुंचमार्ग बाड़मेर से पचपदरा राष्ट्रीय राजमार्ग (एन.एच.-25) 60 मीटर चौड़ाई की सड़क से प्राप्त हो रहा है। अतः उक्त सड़क का निर्धारित मार्गाधिकार यथावत होने तथा निर्धारित मार्गाधिकार को मौके तथा रिकार्ड में यथावत कायम करवाये जाने की सुनिश्चितता की जावे। 2. प्रस्तावित ले-आउट प्लान की योजना सीमाओं के माप की रिकार्डनुसार सुनिश्चितता कराते हुए ले-आउट प्लान का मौके पर डिमार्केशन तथा आवश्यक पहुंच मार्ग			

	सड़क कायम किये जाने के उपरान्त ही योजना निष्पादन की कार्यवाही की जानी होगी, ताकि ले-आउट प्लान व मौका स्थिति में भिन्नता नहीं रहें। 3. प्रस्तावित योजना में कहीं-कहीं अतिक्रमण चिन्हित है। योजना के क्रियान्वयन से पूर्व उक्त अतिक्रमण को नियमानुसार हटाया जाना होगा। 4. रेरा अधिनियम-2016 के अन्तर्गत उक्त योजना का रजिस्ट्रेशन करवाया जाना अनिवार्य है। 5. नगर विकास न्यास सुधार अधिनियम-1959 के नियमों/भूमि निष्पादन अधिनियम/टाउनशिप पॉलिसी-2024/रेरा अधिनियम -2016 के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन एवं अन्य आवश्यक कार्यवाही की सुनिश्चितता की जावें। 6. उक्त योजना की क्रियान्विति के समय पानी के सुगम निकास की व्यवस्था, वर्षा जल संरक्षण इत्यादि की उचित व्यवस्था की जावें। 7. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार नगर विकास न्यास, बालोतरा से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।
--	---


 29.07.26
 सहायक/अधिशायी अभियन्ता
 सदस्य
 भवन मानचित्र समिति


 29/07/2026
 उप नगर नियोजक
 सदस्य सचिव
 भवन मानचित्र समिति


 29/07/26
 सचिव
 अध्यक्ष
 भवन मानचित्र समिति

प्रतिलिपि:- निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. सचिव, नगर विकास न्यास, बालोतरा।
2. वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर जोन जोधपुर।
3. उप नगर नियोजक, नगर विकास न्यास, बालोतरा।
4. अधिशायी अभियन्ता/सहायक अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता, नगर विकास न्यास, बालोतरा।
5. तहसीलदार/पटवारी नगर विकास न्यास, बालोतरा।